न्यायालय : रिया चौकसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

Registration No. RCT/ 201069/2016
Filling No. 201879/16

म.प्र. शासन
द्वारा आरक्षी केन्द्र परासिया

.....अभियोजन

विरूद्ध

सरस्वती बाई पति रामदास अहके,
उम्र 25 साल, निवासी रैय्यतवाड़ी,
थाना परासिया, जिला छिंदवाड़ा, म.प्र. **.....अभियुक्त**

.....

10.03.2025 राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

अभियुक्त पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण तामील कर्ता साक्ष्य हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील इस टीप के साथ वापस प्राप्त कि अभियुक्त की तलाश की गई जो नहीं मिला एवं आस–पास पूछने पर उसकी कोई जानकारी नही मिली एवं तामीलकर्ता द्वारा बनाया गया तस्दीक पंचनामा जिस पर साक्षियों के हस्ताक्षर है उक्त वारंट के साथ संलग्न है।

उक्त रिपोर्ट के संबंध में तामीलकर्ता उपनिरीक्षक रविन्द्र ठाकुर उपस्थित।

उपनिरीक्षक रविन्द्र ठाकुर, थाना परासिया को फरारी साक्ष्य उपरांत उन्मुक्त किया गया। अभियुक्त सरस्वती बाई के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में तस्दीक पंचनामा तैयार करने वाले तामील कुनिन्दा के कथन अंकित किये गये एवं गिरफ्तारी वारंट पर प्रदर्श सी–1 एवं तस्दीक पंचनामा प्रदर्श सी–2 अंकित किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त विगत कई पेशियों से प्रकरण में अनुपस्थित है एवं अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। तामीलकर्ता की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सरस्वती बाई वर्तमान में कहा रहती है, क्या करती है इसकी कोई जानकारी नही है। प्रकरण के

अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण काफी समय से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु चल रहा है किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट की तामीली सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अभियुक्त के विरूद्ध प्रत्येक पेशी पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं परन्तु गिरफ्तारी वारंट अदम तामील वापस प्राप्त होने से यह दर्शित है कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रही है और अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना दर्शित नही हो रही है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को **फरार** घोषित किया जाता है। धारा 299 दंड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत कार्यवाही अग्रसर कर **सरस्वती बाई** पति रामदास अहके, उम्र 34 साल, निवासी रैय्यतवाडी खिरसाडोह, थाना परासिया, जिला छिंदवाड़ा म.प्र. की लगतार अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध **स्थायी गिरफ्तारी वारंट** जारी किया जाता है।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82 एवं 83 दंड प्रकिया संहिता 1973 के तहत कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है।

स्थायी वारंट जारी कर प्राप्तकर्ता आरक्षक के नाम व पदनाम क्रमांक सहित पावती हस्ताक्षर आदेश पत्रिका के हासिए पर लिए जावे एवं इस संबंध में सुसंगत इंद्राज स्थाई वारंट संबंधी पंजी में भी अनिवार्य रूप से किया जावे।

स्थायी वारंट में यह टीप अंकित की जावें की थाना प्रभारी प्रत्येक एक माह की अवधि में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, स्थायी वारंट जारी करने की टीप लाल स्याही से मय जावक नंबर के

आदेश पत्रिका की मार्जिन अंकित की जावे और संबंधित थाना का आवक नंबर भी लेख किया जावें।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है, प्रकरण सुरक्षित रखा जावें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार में जमा किया जावें।

(रिया चौकसे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
परासिया, जिला छिंदवाड़ा, (म.प्र.)

RIYA CHOUKSEY

Digitally signed by RIYA CHOUKSEY
Date: 2025.03.10 19:21:22 +0530